

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002632011

दांडिक प्रकरण क.-35 / 11

संस्थापित दिनांक-31.01.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	अभियोजन
विरुद्ध	
01-सुग्रीव पुत्र दुर्गा वंशकार आयु 25 वर्ष 02-मुकेश पुत्र दुर्गा वंशकार आयु 30 वर्ष 03-रमेश पुत्र दुर्गा वंशकार आयु 32 वर्ष निवासीगण ग्राम हंसारी, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0	आरोपीगण
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता।	

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 27.10.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341,294,323,324 / 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी राजपाल ने दिनांक 21.01.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 21.01.11 को 12:00 बजे फरियादी के मकान के सामने ग्राम हंसारी में आरोपीगण आए और गाली गलोच करने लगे, गाली देने से मना करने पर तीनों आरोपीगण ने फरियादी का रास्ता रोककर कुल्काडी से मारा जिससे उसे चोट लगी और साथ ही, मुक्के और लात से भी मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 45/11 के अंतर्गत भादवि की धारा 341,294,323,324/34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 324/34, 323/34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण दिनांक 21.01.2011 समय 12:00 बजे फरियादी राजपाल के मकान के सामने ग्राम हंसारी लोक स्थल में आपने उसे मां वहिन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया ?
2. क्या उक्त घटना क्रम में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी राजपाल को कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
3. क्या उक्त घटना क्रम में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में

फरियादी राजपाल एवं उसे बचाने आई उसकी पत्नी अनीता के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 राजपाल, अ.सा.2 अनीता, अ.सा.3 रामसिंह, अ.सा.4 नरेन्द्रसिंह, अ.सा.5 डॉ अजयसिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आरोपी की ओर से बचाव साक्षी दुर्गा की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 राजपाल ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपी दुर्गसिंह ने पहले उसकी पत्नी को गालियां दी थी तथा जब उसकी पत्नी काम कर रही थी तो दुर्गसिंह ने उसका वका छीनकर उसकी पत्नी से झगडा किया था और फिर शेष आरोपीगण उससे चेट गये थे। अ.सा.1 के अनुसार सुग्रीव ने उसके सिर में कुल्हाडी मारी थी और उसके बाद वह खून से लथपथ हो गया था। अ.सा.1 के अनुसार उसकी पत्नी के साथी भी मारपीट की थी तथा उसने प्र0पी01 की रिपोर्ट लेख कराई थी। अ.सा. 2 अनीता जो कि फरियादी की पत्नी है उसने अपने कथन में बताया है कि वे आरोपीगण को जानते हैं। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी सुग्रीव ने कुल्हाडी से उसे मारा था तथा उससे चेट गया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने उसके पति को भी कुल्हाडी से मारा था तथा पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछताछ की थी। अ.सा.1 के अनुसार सभी आरोपीगण ने मारपीट की थी और गाली गलोच की थी। अ.सा.2 ने भी अपने कथन में बताया है कि सभी आरोपीगण आए थे और उनहोंने गालिया दी थी।

08— अ.सा.3 रामसिंह पक्षद्रोही हो गया है तथ उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने गाली गलोच की थी। अ.सा.4 नरेन्द्रसिंह द्वारा प्रकरण में विवेचना की गई है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना का नक्सा मौका प्र0पी02 तैयार किया था तथा साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये थे। उक्त साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्र0पी04 तैयार करना बताया है।

09— अ.सा.5 डॉ अजयसिंह ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा प्रकरण में अनीता बाई का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी08 है जिसके अनुसार अनीताबाई के शरीर पर तीन चोटें आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा राजपाल का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी09 जिसके अनुसार राजपाल के शरीर पर तीन चोटे आई थी। अ.सा.5 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को फरियादी एवं आहत के शरीर पर चोटे आई थी। अ.सा.5 ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि आहतगण के शरीर पर आई चोट सख्त एवं भौतरी वस्तु से चोट आई थी। अ.सा.1 एवं अ.सा.2 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से बताया है कि वह घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा गाली गलोच की गई थी और साथ ही अ.सा.1 एवं अ.सा.2 के साथ मारपीट भी की गई थी।

10— आरोपीगण की ओर से जो बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसमें बचाव साक्षी दुर्गा ने अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण को मामले में झूठा फसाया गया है। बचाव साक्षी के अनुसार घटना के समय वह अलग गांव में रहता था। इस प्रकार बचाव साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उक्त बचाव साक्षी घटना के समय उपस्थित नहीं था। और उक्त बचाव साक्षी आरोपीगण का पिता भी है तो ऐसी दशा में उक्त बचाव साक्षी की साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष दे देना कि प्रकरण में आरोपीगण को झूठा फसाया गया है समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अ.सा.1 एवं अ.सा.2 की साक्ष्य से प्रमाणित हो रहा है कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी को गालिया दी गई

और साथ ही फरियादी राजपाल की कुल्हाड़ी से मारपीट की गई एवं आहत अनीता की मारपीट भी की गई।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 324/34, 323/34 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

12— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला—अशोकनगर

पुनश्च:—

13— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुल श्रीवास्तव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा प्रकरण में एक आहत महिला है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

14— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के साथ हिंसा कारित की जाती है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 294 के अपराध में 15 दिवस के साधारण कारावास एवं 500—500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 323/34 के अपराध में 06—06 माह के साधारण कारावास एवं 500—500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 324/34 के अपराध में 01—01 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000—1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। उक्त तीनों दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

15— आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

17— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

18— आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)